



2026:AHC-LKO:5910

इलाहाबाद उच्च न्यायालय, लखनऊ पीठ

धारा 482 के तहत आवेदन संख्या-3721 वर्ष 2021

विशाल कुमार सरोज... आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और एक अन्य... प्रतिपक्षी

आवेदक के अधिवक्ता: लालजी यादव, अरुण सिन्हा

प्रतिपक्षी के अधिवक्ता: शासकीय अधिवक्ता, आशीष कुमार मौर्या, सुशील कुमार सिंह

सुरक्षित: 13.01.2026

पारित: 28.01.2026

अपलोडेड: 28.01.2026

प्रतिवेद्य

माननीय न्यायमूर्ति श्री बृजराज सिंह

1. श्री सिद्धार्थ सिन्हा के साथ श्री लालजी यादव, आवेदक के अधिवक्ता, श्री राव नरेंद्र सिंह, राज्य के लिए अपर शासकीय अधिवक्ता और श्री सुशील कुमार सिंह, प्रतिपक्षी संख्या-2 के अधिवक्ता को सुना।

2. यह आवेदन इस प्रार्थना के साथ प्रस्तुत किया गया है कि सिविल जज (जूनियर डिवीजन)/न्यायिक मजिस्ट्रेट, लालगंज, प्रतापगढ़ द्वारा पारित दिनांक 10.01.2020 के आपत्तिजनक समन आदेश को तथा वाद संख्या 188/2017, अंतर्गत धारा 323, 325, 326, 504, 506 भारतीय दंड संहिता (अनिल सिंह बनाम विकास एवं अन्य), जो सिविल जज (जूनियर डिवीजन)/न्यायिक मजिस्ट्रेट, लालगंज, प्रतापगढ़ की अदालत में लंबित है, की संपूर्ण आपराधिक

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



कार्यवाही को किया जाए, तथा साथ ही दिनांक 01.04.2021 के उस आदेश को भी निरस्त किया जाए, जिसके द्वारा आवेदक के विरुद्ध जमानतीय वारंट जारी किया गया था।

3. मामले के संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि 28.05.2015 को आवेदक के भाइयों और पिता की प्रतिपक्षी संख्या-2 के भाई और भतीजे द्वारा बेरहमी से हत्या कर दी गई थी और आवेदक द्वारा एक प्राथमिकी दर्ज की गई थी। उक्त प्राथमिकी दर्ज करने के बाद, प्रतिशोध के लिए, प्रतिपक्षी संख्या-2 ने आवेदक और 15 अन्य व्यक्तियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने के लिए धारा 156(3) द०प्र०स० के तहत एक आवेदन दायर किया और अदालत के निर्देश के अनुसरण में, केस अपराध संख्या-344 वर्ष 2015 में धारा 147, 148, 149, 323, 504, 506 के तहत प्राथमिकी धारा 308, 324, 326 भ०द०वि० थाना लालगंज, जिला प्रतापगढ़ में दर्ज की गई है। जांच पूरी हो गई और विवेचनाधिकारी द्वारा अदालत के समक्ष अंतिम रिपोर्ट दायर की गई। इसके बाद, प्रतिपक्षी संख्या-2 ने उक्त प्राथमिकी के खिलाफ मजिस्ट्रेट के समक्ष एक विरोध आवेदन दायर किया। आपत्तियों पर विचार करने के बाद, मजिस्ट्रेट ने पुलिस द्वारा प्रस्तुत अंतिम रिपोर्ट को स्वीकार करते हुए 8.4.2017 को एक आदेश पारित किया। दिनांक 8.4.2017 के आदेश के खिलाफ, प्रतिपक्षी संख्या-2 ने सत्र न्यायालय के समक्ष आपराधिक पुनरीक्षण संख्या 111 वर्ष 2017 दायर की, जिसे 01.08.2023 को भी खारिज कर दिया गया। प्रतिपक्षी संख्या-2 ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के समक्ष आगे की जांच के लिए एक आवेदन भी दायर किया, जिसने पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश को उक्त आवेदन पर उचित कार्रवाई करने का निर्देश दिया। इस मामले की जांच कौशाम्बी के पुलिस अधीक्षक ने की थी, जिन्होंने 27.6.2016 को एक रिपोर्ट प्रस्तुत की थी, जिसमें उल्लेख किया गया था कि निष्पक्ष जांच के बाद अंतिम रिपोर्ट दायर की गई थी। प्रतिपक्षी संख्या-2 ने उसी घटना पर 17.11.2017 को मजिस्ट्रेट के समक्ष एक आपराधिक शिकायत दर्ज की, जिसका उल्लेख प्रतिपक्षी संख्या-2 द्वारा दर्ज प्राथमिकी में किया गया था और धारा 200 द०प्र०स० और 202 द०प्र०स० के तहत बयान दर्ज करने के बाद, समन जारी किया गया है जिसे चुनौती दी जा रही है।

4. आवेदक के अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया है कि यदि प्रतिपक्षी संख्या-2 ने द०प्र०स० की धारा 156(3) के तहत अपनी शिकायत उठाते हुए आवेदन दायर किया है और संबंधित अदालत ने उस पर विचार किया है और प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने का निर्देश दिया है और उसके बाद न्यायालय के आदेश से, सर्कल अधिकारी ने मामले की जांच की है और अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत की है, जिसके



खिलाफ, प्रतिपक्षी संख्या-2 ने शपथ पर विरोध आवेदन दायर किया, जिसमें उन्होंने फिर से वही शिकायत उठाई और सक्षम अदालत ने उनकी शिकायत पर विचार करने में प्रसन्नता व्यक्त की और दिनांक 08.04.2017 का आदेश पारित किया, जिससे अंतिम रिपोर्ट को यह कहते हुए स्वीकार किया गया कि जांच में कोई कमी नहीं है, तो आवेदक तथ्यों के एक ही सेट पर शिकायत दर्ज नहीं कर सकता है। उन्होंने आगे प्रस्तुत किया कि दिनांक 08.04.2017 के आदेश के खिलाफ प्रतिपक्षी संख्या-2 द्वारा दायर पुनरीक्षण को भी अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश/एफ.टी.सी.-I, प्रतापगढ़ द्वारा योग्यता के आधार पर खारिज कर दिया गया है।

5. आवेदक के अधिवक्ता की आगे की प्रस्तुति यह है कि **सुब्रत चौधरी @ संतोष चौधरी और अन्य बनाम असम राज्य और अन्य, 2024 आई.एन.एस.सी. 834** के मामले में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के प्रस्तर-18, 27, 30 और 32 में माना गया है कि एक बार लिखित आपत्ति/विरोध याचिका को खारिज करने के बाद मूल शिकायत पर नकारात्मक रिपोर्ट/अंतिम रिपोर्ट स्वीकार कर ली गई थी, फिर उसी तथ्यों के सेट पर, धारा 2(डी) द०प्र०स० के तहत शिकायत दूसरी शिकायत के रूप में सुनवाई योग्य नहीं है। उन्होंने आगे कहा कि प्रतिपक्षी संख्या-2 ने दिनांक 17.11.2017 को शिकायत दर्ज की है, जिसमें उन्होंने भौतिक तथ्यों का खुलासा नहीं किया है और इस न्यायालय के साथ-साथ विभिन्न मामलों में सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि यदि कोई व्यक्ति सही तथ्यों के साथ अदालत का दरवाजा नहीं खटखटाता है, तो वह किसी भी राहत का हकदार नहीं हो सकता है। यह आगे प्रस्तुत किया गया है कि प्रतिपक्षी संख्या-2 की शिकायत भौतिक तथ्यों के छिपाने के साथ-साथ सुब्रत चौधरी @ संतोष चौधरी (उपरोक्त) के मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा आयोजित दूसरी शिकायत पर आधारित है, इसलिए शिकायत और शिकायत की कार्यवाही रद्द की जा सकती है।

6. अपने तर्क को पुष्ट करने के लिए, आवेदक के अधिवक्ता ने **कुश दुरुका बनाम ओडिशा राज्य, 2024 आई.एन.एस.सी. 46**, रेखा शरद उशीर बनाम सप्तश्रृंगी महिला नागरी सहकारी पतसंस्था लिमिटेड, 2025 आई.एन.एस.सी. 399; अमर सिंह बनाम भारत संघ और अन्य, (2011) 7 एस.सी.सी. 69; रामजस फाउंडेशन और एक अन्य बनाम भारत संघ और अन्य (2010) 14 एस.सी.सी. 38; सुब्रत चौधरी @ संतोष चौधरी और अन्य बनाम असम राज्य और अन्य, 2024 आई.एन.एस.सी. 834। उन्होंने श्रीमती रामेंद्री बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और एक अन्य (धारा 482 संख्या 5094 वर्ष 2021 के तहत आवेदन) में इस न्यायालय के फैसले पर भी भरोसा किया है,

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



जिसका निर्णय 24.2.2022 को लिया गया था; और योगेश्वर राज नगर और एक अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य (अनुच्छेद 224 संख्या 4173 वर्ष 2018 के तहत मामले)(तटस्थ उद्धरण संख्या 2025: एचसी: 31994 के मामलों में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले पर अवलंबन किया है।

7. दूसरी ओर, प्रतिपक्षी संख्या-2 के अधिवक्ता ने आवेदक की ओर से की गई प्रस्तुतियों का विरोध किया है और प्रस्तुत किया है कि द०प्र०स० के अध्याय XV और अध्याय XVI के तहत अपनी आपराधिक शिकायत में प्रतिपक्षी संख्या-2/शिकायतकर्ता की सम्मानजनक प्रस्तुतीकरण, जो धारा 200, 202, 203 और 204 द०प्र०स० के संदर्भ में हैं, यह है कि प्राथमिकी/पुलिस केस अपराध संख्या-344 वर्ष 2015 में 07.01.2017 की दूसरी अंतिम रिपोर्ट/क्लोजर रिपोर्ट, पी.एस. लालगंज, जिला प्रतापगढ़, और उक्त दूसरी अंतिम रिपोर्ट/क्लोजर रिपोर्ट के खिलाफ प्रतिपक्षी संख्या-2 द्वारा विरोध आवेदन दायर करने के साथ-साथ अंतिम रिपोर्ट/क्लोजर रिपोर्ट को स्वीकार करने वाले दिनांक 08.04.2017 के आदेश से द०प्र०स० के अध्याय XV और अध्याय XVI के अर्थ के भीतर आपराधिक शिकायत का स्वरूप प्राप्त नहीं होगा। यह प्रस्तुत किया जाता है कि एक आपराधिक शिकायत अदालत द्वारा स्वयं एक अपराध में जांच या परीक्षण पर विचार करती है, जिसमें शिकायत के समर्थन में गवाहों की जांच और दस्तावेजी और चिकित्सा साक्ष्य जैसी अन्य सामग्रियों पर विचार करना शामिल है। द०प्र०स० की धारा 203 (शिकायत को खारिज करना) या धारा 204 द०प्र०स० (प्रक्रिया जारी करना) के तहत मजिस्ट्रेट द्वारा पारित आदेश एक न्यायिक आदेश है जो विचारण न्यायालय द्वारा अपने न्यायिक ज्ञान का प्रयोग करते हुए पारित किया गया है। इस तरह के आदेश की तुलना अंतिम रिपोर्ट/क्लोजर रिपोर्ट और विरोध आवेदन की स्वीकृति से नहीं की जा सकती है, क्योंकि मजिस्ट्रेट द्वारा स्वीकार किए गए विवेचनाधिकारी के निष्कर्ष से न्यायिक निर्णय का स्वरूप प्राप्त नहीं होता है। इसलिए, अंतिम रिपोर्ट/क्लोजर रिपोर्ट और विरोध आवेदन को पहली आपराधिक शिकायत नहीं कहा जा सकता है, और परिणामस्वरूप, जब शिकायतकर्ता द्वारा एक नियमित आपराधिक शिकायत दर्ज की जाती है, तो इसे दूसरी आपराधिक शिकायत नहीं कहा जा सकता है।

8. प्रतिपक्षी संख्या-2 के अधिवक्ता ने आगे प्रस्तुत किया है कि पुलिस रिपोर्ट पर विचार करते समय मजिस्ट्रेट द्वारा प्रयोग की जाने वाली शक्ति और अधिकार क्षेत्र, विशेष रूप से विवेचनाधिकारी द्वारा प्रस्तुत अंतिम रिपोर्ट/क्लोजर रिपोर्ट, गवाह के कठघरे में गवाहों के बयान पर आधारित नहीं



है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि द०प्र०स० की धारा 200 के तहत एक आपराधिक शिकायत में, धारा 200 और 202 द०प्र०स० के तहत न्यायालय के समक्ष दर्ज किए गए बयान भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अर्थ के भीतर साक्ष्य हैं। ततस्त्य विपरीत, विवेचनाधिकारी द्वारा केस डायरी में एकत्र की गई सामग्री और धारा 161 द०प्र०स० (धारा 180 बी.एन.एस.एस.) के तहत दर्ज किए गए बयान साक्ष्य नहीं हैं। सबसे अच्छा, ऐसी सामग्री को खोजी सामग्री के रूप में कहा जा सकता है, जिससे कोई कानूनी साक्ष्य मूल्य संलग्न नहीं किया जा सकता है। यहां तक कि पहले सूचनाकर्ता द्वारा दायर विरोध आवेदन भी साक्ष्य का चरित्र प्राप्त नहीं करता है। इस प्रकार, पुलिस केस डायरी और आपराधिक शिकायत के बीच एक बड़ा अंतर है, और धारा 200 द०प्र०स० और 202 द०प्र०स० के तहत जांच या मुकदमे के दौरान दर्ज किए गए बयान जांच के दौरान एकत्र की गई सामग्री की तुलना में बहुत अधिक हैं।

9. प्रतिपक्षी संख्या-2 के अधिवक्ता द्वारा यह भी प्रस्तुत किया गया है कि पुलिस द्वारा प्रस्तुत अंतिम रिपोर्ट/क्लोजर रिपोर्ट और प्रथम सूचनाकर्ता द्वारा दायर विरोध आवेदन पर विचार करते समय मजिस्ट्रेट द्वारा प्रयोग किया गया अधिकार क्षेत्र प्रशासनिक प्रकृति का है। उन्होंने आगे कहा कि प्रस्तुत मामले में, मजिस्ट्रेट द्वारा 08.04.2017 को पारित आदेश, जिसमें क्लोजर/दूसरी अंतिम रिपोर्ट को स्वीकार किया गया था, विशेष रूप से पांच घायल व्यक्तियों को लगी चोटों के संबंध में, जैसा कि डॉ. ए.के. गुप्ता ने नोट किया था, जिन्होंने एक तेज धार वाले हथियार से हुई चोटों को दर्ज किया था। इसके बावजूद, मजिस्ट्रेट ने घायल अजय सिंह (चोट संख्या 2 और 3) और घायल विवेक की चोट संख्या-1 की चोटों का उचित मूल्यांकन किए बिना लापरवाही से इलाज किया, जिससे एक विकृत दृष्टिकोण का प्रदर्शन हुआ। यह भी प्रस्तुत किया जाता है कि मजिस्ट्रेट ने स्वरूप रानी नेहरू मेडिकल कॉलेज, प्रयागराज द्वारा प्रस्तुत मेडिकल रिपोर्ट पर विचार नहीं किया और प्राथमिकी की विकृत व्याख्या के आधार पर निष्कर्ष दर्ज किए, हालांकि मजिस्ट्रेट ने खुद विवेचनाधिकारी की रिपोर्ट का उल्लेख किया जिसमें एक क्रॉस-केस की मौजूदगी को नोट किया गया था।

10. यह आगे प्रस्तुत किया जाता है कि मजिस्ट्रेट ने दिनांक 08.04.2017 के अपने आदेश में, पुलिस उपाधीक्षक के कथित बयान पर, जो आरोपी व्यक्तियों के पक्ष में थे, इसकी प्रासंगिकता पर विचार किए बिना, अवलंबन किया। डिप्टी एसपी का बयान घटना के लगभग तीन महीने बाद दर्ज किया गया था, और इसलिए, अपराध के लिए इसकी प्रासंगिकता संदिग्ध है। ऐसा प्रतीत होता



है कि मजिस्ट्रेट धारा 156(3) द०प्र०स० के तहत आवेदन दायर करने में देरी से प्रभावित हुआ है। नतीजतन, अंतिम रिपोर्ट/क्लोजर रिपोर्ट को स्वीकार करने वाले दिनांक 08.04.2017 के आदेश को एक उचित आदेश नहीं कहा जा सकता है। मजिस्ट्रेट प्रतिपक्षी संख्या-2 द्वारा दायर 29.03.2017 के विरोध आवेदन पर सही ढंग से विचार करने में भी विफल रहे। इस प्रकार यह प्रस्तुत किया जाता है कि दिनांक 08.04.2017 की अंतिम रिपोर्ट/क्लोजर रिपोर्ट की स्वीकृति और अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश/एफ.टी.सी.-1, प्रतापगढ़ द्वारा 01.08.2023 को आपराधिक पुनरीक्षण को खारिज करने से धारा 200 द०प्र०स० के संदर्भ में द०प्र०स० के अध्याय XV और अध्याय XVI के तहत प्रस्तुत आपराधिक शिकायत दर्ज करने में कोई बाधा नहीं आएगी।

11. प्रतिपक्षी संख्या 2 के अधिवक्ता ने **महेश चंद बनाम बी. जनार्दन रेड्डी और अन्य, (2003) 1 एस.सी.सी. 734** में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले पर अवलंबन किया है, और प्रस्तुत किया है कि सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि द०प्र०स० के अध्याय XV के तहत एक आपराधिक शिकायत को खारिज करने के बाद भी, समान तथ्यों पर दूसरी आपराधिक शिकायत पर रोक नहीं लगाई जाएगी यदि धारा 203 द०प्र०स० के तहत बर्खास्तगी का पिछला आदेश पारित किया गया था एक अधूरा अभिलेखों, शिकायत की प्रकृति की गलतफहमी पर, या जहां आदेश स्पष्ट रूप से गलत था। दूसरी शिकायत केवल तभी प्रतिबंधित की जाएगी जहां पिछली शिकायत को गुण-दोष पर पूर्ण विचार के बाद खारिज कर दिया गया था। उक्त मामले में, शिकायतकर्ता ने शुरू में एक प्राथमिकी दर्ज की और जांच के दौरान एक आपराधिक शिकायत दर्ज की। इसके बाद, विवेचनाधिकारी ने मजिस्ट्रेट के समक्ष दिनांक 29.07.1997 की अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत की। शिकायतकर्ता ने एक विरोध आवेदन भी दायर किया, जिसके बाद मजिस्ट्रेट ने अंतिम रिपोर्ट स्वीकार कर ली और साथ ही शिकायतकर्ता की आपराधिक शिकायत पर विचार किया। इसके बाद, की धारा 200 द०प्र०स० के तहत दिनांक 08.11.2002 को एक आपराधिक शिकायत दर्ज की गई, जिसमें आरोपियों को तलब किया गया। आरोपी ने आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के समक्ष की धारा 482 द०प्र०स० के तहत एक याचिका दायर करके कार्यवाही को चुनौती दी, जिसमें कहा गया कि शिकायत को दूसरी शिकायत के रूप में वर्जित कर दिया गया था।

12. प्रतिपक्षी संख्या-2 के अधिवक्ता ने भी **विष्णु कुमार तिवारी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, आपराधिक अपील संख्या 1015 वर्ष 2019** (एसएलपी (सीआरएल) संख्या 9654 वर्ष 2017 से उत्पन्न), 09.07.2018 को निर्णय, पर अवलंबन किया है। उक्त मामले में, सर्वोच्च न्यायालय ने



अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश के फैसले को ध्यान में रखते हुए प्रस्तर 51 में कहा कि शिकायतकर्ता द०प्र०स० की धारा 200 के तहत आपराधिक शिकायत दर्ज कर सकता है। उक्त मामले में, शिकायतकर्ता ने धारा 304-बी भ०द०वि० के तहत प्राथमिकी दर्ज की थी। विवेचनाधिकारी ने एक अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसे मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने विरोध आवेदन खारिज करने के बाद स्वीकार कर लिया। शिकायतकर्ता द्वारा दायर आपराधिक पुनरीक्षण को भी खारिज कर दिया गया। उच्च न्यायालय के समक्ष दायर एक रिट याचिका की अनुमति दी गई थी, लेकिन उक्त निर्णय को सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष चुनौती दी गई थी। उच्चतम न्यायालय ने माना कि उच्च न्यायालय ने यह कहना गलत था कि विरोध आवेदन पर विचार नहीं किया गया था। हालांकि, फैसले के प्रस्तर 51 में, उच्चतम न्यायालय ने स्पष्ट रूप से कहा कि शिकायतकर्ता अंतिम रिपोर्ट की स्वीकृति और विरोध आवेदन को खारिज करने के बावजूद, धारा 200 द०प्र०स० के तहत आपराधिक शिकायत दर्ज करने के लिए स्वतंत्र था।

13. प्रतिपक्षी संख्या-2 के अधिवक्ता ने आगे प्रस्तुत किया कि **सुब्रत चौधरी @ संतोष चौधरी (उपरोक्त), समता नायडू बनाम मध्य प्रदेश, 2020 (1) एसीसी 660 (एस.सी.),** में उच्चतम न्यायालय का फैसला विभिन्न तथ्यों पर आधारित है। समता नायडू (उपरोक्त) में, पहली आपराधिक शिकायत को धारा 203 द०प्र०स० के तहत खारिज कर दिया गया था, गुण-दोष पर पूर्ण विचार करने के बाद, यह निष्कर्ष निकालते हुए कि अभियुक्त-समता नायडू और दिलीप नायडू के खिलाफ प्रथम दृष्टया कोई मामला नहीं बनता है। इसके बाद, उसी आरोप पर शिकायतकर्ता द्वारा दूसरा आपराधिक शिकायत मामला संख्या 9296 वर्ष 2014 दायर किया गया था। उच्चतम न्यायालय ने उच्चतम न्यायालय के पिछले फैसलों के आधार पर कहा कि यदि पहली शिकायत को गुण-दोष के आधार पर आपराधिक शिकायत के मामले पर पूरी तरह से विचार करने पर निपटाया गया है, तो समान तथ्यों और समान आरोपों पर दूसरी आपराधिक शिकायत पर रोक लगा दी जाएगी और यह सुनवाई योग्य नहीं होगी। हालांकि, सुब्रत चौधरी (उपरोक्त) में, तथ्यात्मक मैट्रिक्स में एक प्राथमिकी दर्ज करना, एक अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत करना, एक विरोध आवेदन दाखिल करना, अंतिम रिपोर्ट की स्वीकृति और पुनरीक्षण को खारिज करना शामिल था, जिसके बाद सूचनाकर्ता ने धारा 200 द०प्र०स० के तहत एक आपराधिक शिकायत दर्ज करने का विकल्प चुना। यह प्रस्तुत किया जाता है कि सर्वोच्च न्यायालय के 05.11.2024 के फैसले में महेश चंद (उपरोक्त) में तीन-न्यायाधीशों की पीठ के फैसले पर विचार नहीं किया गया था। इसलिए, सुब्रत चौधरी @ संतोष



चौधरी (उपरोक्त) में निर्णय प्रस्तुत मामले पर लागू नहीं किया जा सकता है और यह आवेदन खारिज किया जाना चाहिए।

14. मैंने पक्षों के अधिवक्ता द्वारा की गई प्रस्तुतियों पर विचार किया है और अभिलेखों के माध्यम से चला हूं। सुब्रत चौधरी @ संतोष चौरधुरी (उपरोक्त) के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तर-21 में यह कहते हुए प्रसन्नता व्यक्त की है कि विरोध याचिका पर विचार करने और शिकायतकर्ता की सुनवाई के बाद पहली शिकायत को खारिज करने के मद्देनजर, दूसरे प्रतिपक्षी द्वारा दायर दूसरी शिकायत सुनवाई योग्य नहीं थी। उच्चतम न्यायालय ने महेश चंद (उपरोक्त) के फैसले पर भी विचार किया है और उसके बाद इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि दूसरी शिकायत सुनवाई योग्य नहीं है।

15. सुब्रत चौधरी @ संतोष, चौरधुरी (उपरोक्त) के मामले में तथ्यात्मक पृष्ठभूमि यह ध्यान रखना प्रासंगिक है कि मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने शिकायतकर्ता के विरोध को सुनने के बाद 06.06.2011 को अंतिम रिपोर्ट स्वीकार कर ली। 20.07.2011 को, दूसरे प्रतिपक्षी ने अपीलकर्ता के खिलाफ उसी आरोप के साथ दूसरी शिकायत दर्ज की। प्रस्तर-21, 27, 30 और 32 में, उच्चतम न्यायालय ने कहा:

"21. यहां अपीलकर्ताओं ने तर्क दिया कि दूसरी शिकायत में आरोपों का एक ही सेट है और विरोध याचिका पर विचार करने और शिकायतकर्ता को सुनने के बाद पहली शिकायत को खारिज करने के मद्देनजर, दूसरे प्रतिपक्षी द्वारा दिनांक 20.07.2011 को दायर की गई दूसरी शिकायत सुनवाई योग्य नहीं है। उक्त तर्क के समर्थन के लिए, अधिवक्ता ने शिवशंकर सिंह बनाम बिहार राज्य और अन्य, एच.एस. बैस बनाम राज्य (चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश), बिदेश्वरी प्रसाद सिंह बनाम काली सिंह और पूनम चंद जैन बनाम फरजु इस न्यायालय के निर्णयों पर अवलंबन किया।

27. अब, हमें समता नायडू के मामले (उपरोक्त) में कानून की व्याख्या को ध्यान में रखते हुए अपील के साथ आगे बढ़ना होगा कि यदि शिकायत का पहले निपटान गुण-दोष के आधार पर और कानून को ज्ञात तरीके से था, तो पहली शिकायत में उठाए गए लगभग समान तथ्यों पर दूसरी शिकायत सुनवाई योग्य नहीं होगी। यदि दोनों शिकायतों का मूल एक ही है, तो दूसरी शिकायत पर विचार नहीं किया जाना चाहिए, यह आगे उसमें अवधारित किया गया था। दिनांक 11.11.2010 की मूल शिकायत के निपटान के संबंध में तथ्यात्मक



कथन के आलोक में, जो इससे पहले की गई थी और एक नकारात्मक रिपोर्ट प्राप्त होने पर एक मजिस्ट्रेट के लिए खुले पाठ्यक्रमों को ध्यान में रखते हुए और दूसरी शिकायत की पोषणीयता के संबंध में समता नायडू के मामले (उपरोक्त) में कानून की व्याख्या को लागू करते हुए, हमें यह मानने में कोई संकोच नहीं है कि दूसरी शिकायत द्वारा दायर की गई 20.07.2011 की दूसरी शिकायत की अनुरक्षणीयता प्रतिपक्षी इस प्रश्न पर निर्भर करेगा कि क्या दिनांक 11.11.2010 की मूल शिकायत और दिनांक 20.07.2011 की दूसरी शिकायत का मूल वही है क्योंकि दिनांक 11.11.2010 की शिकायत का निपटान गुण-दोष के आधार पर और कानून द्वारा ज्ञात तरीके से किया गया था। इस संदर्भ में, अंतिम रिपोर्ट, विरोध शिकायत पर विचार करने के बाद यह भी ध्यान दिया जाना चाहिए और स्वीकार किया जाना चाहिए कि शिकायतकर्ता के अधिवक्ता को सुनने के बाद विरोध याचिका को न केवल यह पाकर खारिज कर दिया गया था कि जांच में कोई कमी नहीं है, बल्कि यह भी पाया गया कि चूंकि यह ठीक से आयोजित किया गया था, इसलिए आगे की जांच के लिए कोई आदेश आमंत्रित नहीं किया गया है और आगे यह कि सामग्री संज्ञान लेने के लिए पर्याप्त नहीं है। जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, दिनांक 06.06.2011 के आदेश की उक्त प्रकृति के बावजूद, दूसरे प्रतिपक्षी-शिकायतकर्ता ने इसे चुनौती देने का विकल्प नहीं चुना है, बल्कि केवल एक नई शिकायत, अर्थात्, दूसरी शिकायत दिनांक 20.07.2011 दर्ज करने का विकल्प चुना है।

30. हम पहले ही मूल शिकायत का निपटान करने के तरीके का उल्लेख कर चुके हैं। पक्षकारों की ओर से की गई प्रस्तुतियाँ, उसमें संलग्न दस्तावेज़ और सबसे बढ़कर, सीजेएम के दिनांक 12.07.2012 के आदेश से पता चलेगा कि दूसरी शिकायत पहली शिकायत में निहित तथ्यों के समान सेट पर दायर की गई थी और दूसरी शिकायत विरोध याचिका को खारिज करने और पहली शिकायत में अंतिम रिपोर्ट की परिणामी स्वीकृति के बाद दायर की गई थी। यह विवाद में नहीं है कि विरोध याचिका को अस्वीकार करने और दिनांक 06.06.2011 के आदेश के अनुसार अंतिम रिपोर्ट (अनुलग्नक पी-5) की स्वीकृति के बाद, प्रतिपक्षी/शिकायतकर्ता द्वारा मामले को आगे नहीं बढ़ाया गया था। इसके बाद दूसरी शिकायत दिनांक 20-07-2011 को दायर की गई थी, जिसमें दिनांक 11-11-2010 की शिकायत को दोहराया गया था और दिनांक 05-05-2011 की विरोध याचिका के माध्यम से वस्तुतः लगाए गए आरोपों को भी जोड़ा गया था कि मूल शिकायत के अनुसरण में जांच लापरवाही से की गई थी। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि जांच के खिलाफ उक्त आरोप



को भी पहले दिनांक 06.06.2011 के आदेश के अनुसार खारिज कर दिया गया था, जिसमें कहा गया था कि जांच में कोई कमी नहीं थी और आगे यह आगे की जांच के लायक नहीं थी। अब, दिनांक 11.11.2010 की पहली शिकायत और दिनांक 20.07.2011 की दूसरी शिकायत की तुलना से पता चलता है कि उनमें उसी अभियुक्त के विरुद्ध आरोपों का वही सेट है जैसा कि सीजेएम द्वारा दिनांक 12.07.2012 के आदेश में देखा गया है। सीजेएम ने दिनांक 12.07.2012 के आदेश में विभिन्न निर्णयों का उल्लेख करने के बाद इस प्रकार कहा: -

"पुलिस द्वारा मूल शिकायत की विधिवत जांच किए जाने और उसमें प्रस्तुत अंतिम रिपोर्ट को न्यायालय द्वारा न्यायिक कार्यवाही में स्वीकार कर लिया गया है; इसलिए, मेरे सुविचारित विचार में समान तथ्यों और परिस्थितियों के संबंध में दूसरी शिकायत दर्ज करने के माध्यम से इसे फिर से नहीं खोला जा सकता है। इस संबंध में, माननीय पटना उच्च न्यायालय के एक निर्णय में 1981 सीआरआई एलजे 795 भुवनेश्वर प्रसाद सिंह बनाम बिहार राज्य की रिपोर्ट में कहा जा सकता है।

माननीय पटना उच्च न्यायालय ने ए.आई.आर. 1968 एस.सी. 117 में रिपोर्ट किए गए माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय पर भरोसा करते हुए अभिनंदन झा बनाम दिनेश मिश्रा में निर्णय दिया था।

जहां आरोपी व्यक्तियों के खिलाफ मामले को पुलिस द्वारा असत्य ठहराने वाली अंतिम रिपोर्ट असत्य है; मजिस्ट्रेट द्वारा पहले स्वीकार कर लिया गया था, आरोपी के खिलाफ शिकायत याचिका दायर की गई थी, मजिस्ट्रेट को अपराध का गठन करने वाले उन्हीं तथ्यों के संबंध में शिकायत याचिका के आधार पर संज्ञान लेने में न्यायोचित नहीं होगा, जिनका उल्लेख अंतिम रूप में किया गया था जहां अंतिम रूप को स्वीकार करके न्यायिक आदेश पारित किया गया था।

32. विवादों के संदर्भ में, यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि मामला समता नायडू के मामले (उपरोक्त) में शामिल मामले की तुलना में मजबूत स्तर पर खड़ा है। समता नायडू के मामले (उपरोक्त) के प्रस्तर 16, जैसा कि ऊपर निकाला गया है, से पता चलेगा कि उस मामले में शामिल पहले की शिकायत का निपटारा तकनीकी आधार पर नहीं किया गया था, बल्कि यह पता लगाने पर किया गया था कि प्रथम दृष्टया कोई मामला नहीं बनता था और दूसरी शिकायत में सहायक सामग्री की प्रकृति प्रस्तुत की गई थी और इस न्यायालय ने कहा कि



यह नहीं कहा जा सकता है कि दूसरी शिकायत में प्रस्तुत और भरोसा की गई सामग्री नहीं हो सकती थी पहले खरीदा गया था। इसके बाद, यह पाते हुए कि दोनों शिकायतें समान थीं, उच्च न्यायालय के निष्कर्ष को खारिज कर दिया गया कि दूसरी शिकायत सुनवाई योग्य थी, और विषय शिकायत को सुनवाई योग्य नहीं होने के रूप में खारिज कर दिया गया था। इस मामले में, दिनांक 05.05.2011 की विरोध याचिका और दिनांक 20.07.2011 की दूसरी शिकायत के अवलोकन से पता चलेगा कि दिनांक 11.11.2010 की शिकायत के आधार पर दर्ज प्राथमिकी में जांच के अनुसरण में दायर अंतिम रिपोर्ट की स्वीकृति के बाद दायर की गई दूसरी शिकायत, वह भी नाराजी याचिका पर विचार करने और शिकायतकर्ता (यहां दूसरे प्रतिपक्षी) को सुनने के बाद, दूसरी शिकायत दिनांक 20.07.2011 को दायर की गई है, जिसमें पहली शिकायत दिनांक 11.11.2010 को पुनः प्रस्तुत की गई है। यह कहते हुए कि उक्त शिकायत की ठीक से जांच नहीं की गई थी और दिनांक 20.07.2011 की दूसरी शिकायत पर कार्रवाई की जानी चाहिए। वास्तव में, निर्विवाद स्थिति यह है कि 11.11.2010 की मूल शिकायत और 20.07.2011 की दूसरी शिकायत का मूल एक ही है।

16. प्रतिपक्षी संख्या-2 के अधिवक्ता श्री एसके सिंह ने सुब्रत चौधरी @ समतोष चौरधुरी (उपरोक्त) के फैसले के प्रस्तर--24 की ओर न्यायालय का ध्यान आकर्षित किया है और प्रस्तुत किया है कि समता नायडू (उपरोक्त) के मामले में निर्धारित कानून पर सर्वोच्च न्यायालय द्वारा विचार किया गया है और उक्त मामले के प्रस्तर--12 पर, जिसे सुब्रत चौधरी @ समतोष चौरधुरी (उपरोक्त) के फैसले में उद्धृत किया गया है, इस हद तक इंगित किया गया है कि स्थापित कानून है कि दूसरी शिकायत केवल नए तथ्यों पर या यहां तक कि पिछले तथ्यों पर भी हो सकती है यदि कोई विशेष मामला बनाया जाता है। संहिता या किसी अन्य कानून में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जो आवेदक को उसी आरोप पर शिकायत को प्राथमिकता देने से रोकता है यदि पहली शिकायत के परिणामस्वरूप दोषसिद्धि या बरी नहीं किया गया या यहां तक कि बरी नहीं किया गया। न्यायालय ने उक्त मुद्दे पर भी विचार किया है जिसमें यह देखा गया है कि प्रमथ नाथ तालुकदार बनाम सरोज रंजन सरकार, ए.आई.आर. 1962 एस.सी. 876 में, समान तथ्यों पर दूसरी शिकायत पर विचार करने पर कोई रोक नहीं है, लेकिन केवल असाधारण परिस्थितियों में ही इस पर विचार किया जा सकता है।

17. महेश चंद (उपरोक्त) के मामले में, एक तथ्य का फिर से उल्लेख किया जाना प्रासंगिक है कि उस मामले में अपीलकर्ता ने धारा 420, 426, 447, 448 भ०द०वि० के तहत प्राथमिकी में



विवेचनाधिकारी द्वारा प्रस्तुत अंतिम रिपोर्ट के खिलाफ 02.09.1998 को विरोध याचिका दायर की थी। अपीलकर्ता द्वारा दायर शिकायत को बंद कर दिया गया था और उक्त आदेश पर उसके द्वारा सवाल नहीं उठाया गया था। 8.11.2002 को, अपीलकर्ता द्वारा तीसरी शिकायत दायर की गई थी, जो कथित तौर पर धारा 200 द०प्र०स० के तहत थी, जिसके बाद प्रतिपक्षी को समन जारी किया गया था। उक्त मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने माना है कि यह स्थापित कानून है कि उन्हीं तथ्यों पर दूसरी शिकायत दर्ज करने में कोई वैधानिक बाधा नहीं है जहां पिछला आदेश अपूर्ण अभिलेखों पर या शिकायत की प्रकृति की गलतफहमी पर पारित किया गया था या यह स्पष्ट रूप से बेतुका, अन्यायपूर्ण था या जहां नए तथ्य नहीं हो सकते थे, उचित परिश्रम के साथ, पिछली कार्यवाही में अभिलेखों पर लाया गया है, जोड़ा गया है। दूसरी शिकायत में भी इसी पर गौर किया जा सकता है। प्रस्तर-15 और 19 में, सर्वोच्च न्यायालय ने कहा:

"15. न्यायाधीश ने सवाल उठाया कि वे असाधारण परिस्थितियां क्या होंगी। क्वीन एम्प्रेस बनाम डोलेगोबिंद दास [आईएलआर (1901) 28 कैल 211: 5 सीडब्ल्यूएन 169] में फैसलों को देखते हुए, कोयासन कुट्टी [ए.आई.आर. 1918 मैड 494: 18 सीआरआई एलजे 329] , कुमारीया बनाम चिन्ना नायकर [ए.आई.आर. 1946 एमएडी 167: 47 सीआरआई एलजे 595] और कई अन्य फैसलों पर निर्णय लेते हुए, न्यायाधीश इस निष्कर्ष पर पहुंचे: (ए.आई.आर. पृष्ठ 889, प्रस्तर-22-23)

"यह ध्यान दिया जाएगा कि इस प्रकार निर्धारित परीक्षण में असाधारण परिस्थितियों को तीन श्रेणियों के तहत लाया गया है: (1) प्रकट त्रुटि, (2) न्याय का प्रकट हानि, और (3) नए तथ्य जिनके बारे में शिकायतकर्ता को कोई जानकारी नहीं थी या उचित परिश्रम के साथ नहीं कर सकते थे, पिछली कार्यवाही में सामने लाए गए हैं। उपरोक्त तीन श्रेणियों में से किसी एक या अधिक के भीतर आने वाली कोई भी असाधारण परिस्थिति परीक्षण को पूरा करेगी। राम नारायण बनाम पानचंद जैन [ए.आई.आर. 1949 पैट 256: 50 सीआरआई एलजे 524 : आईएलआर 27 पैट 986] में यह देखा गया था कि असाधारण परिस्थितियों की एक विस्तृत सूची नहीं दी जा सकती है, हालांकि कुछ श्रेणियों का उल्लेख किया गया था। एक नई श्रेणी का उल्लेख किया गया था जहां बर्खास्तगी का पिछला आदेश अधूरे अभिलेखों या शिकायत की प्रकृति की गलतफहमी पर पारित किया गया था। यह नई श्रेणी शायद स्पष्ट त्रुटि या न्याय के हानि की श्रेणी में आएगी।



मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि उपरोक्त निर्णयों में से सबसे पहले निर्धारित परीक्षण, क्वीन एम्प्रेस बनाम डोलेगोबिंद दास [आईएलआर (1901) 28 कैल 211: 5 सीडब्ल्यूएन 169], बाद के निर्णयों में उल्लिखित अन्य श्रेणियों को आच्छादित करने के लिए वास्तव में पर्याप्त व्यापक है। जब भी कोई मजिस्ट्रेट संतुष्ट हो जाता है कि बर्खास्तगी का पिछला आदेश एक स्पष्ट त्रुटि के कारण था या इसके परिणामस्वरूप न्याय की हानि हुआ है, तो वह उन्हीं आरोपों पर दूसरी शिकायत दर्ज कर सकता है, भले ही पहले की शिकायत दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 203 के तहत खारिज कर दी गई हो।

बिंदेश्वरी प्रसाद मामले में [(1977) 1 एस.सी.सी. 57: 1977 एस.सी.सी. (सीआरआई) 33: (1977) 1 एस.सी.आर 125] इस न्यायालय ने प्रमथ नाथ तालुकदार मामले का अनुसरण किया [ए.आई.आर. 1962 एस.सी. 876: 1962 पूरक (2) एस.सी.आर 297: (1962) 1 सीआरआई एलजे 770] होल्डिंग: (एस.सी.सी. पी. 59, प्रस्तर-4)

"[I] अब अच्छी तरह से तय हो गया है कि दूसरी शिकायत केवल नए तथ्यों पर या यहां तक कि पिछले तथ्यों पर भी हो सकती है यदि कोई विशेष मामला बनाया जाता है।

19. स्थापित कानूनी सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए, हमारी राय है कि उच्च न्यायालय यह मानने में सही नहीं था कि दूसरी शिकायत पूरी तरह से वर्जित थी। यह स्थापित कानून है कि समान तथ्यों पर दूसरी शिकायत दर्ज करने में कोई वैधानिक बाधा नहीं है। ऐसे मामले में जहां पिछली शिकायत को बिना कोई कारण बताए खारिज कर दिया जाता है, द०प्र०स० की धारा 204 के तहत मजिस्ट्रेट किसी अपराध का संज्ञान ले सकता है और कार्यवाही के लिए पर्याप्त आधार होने पर प्रक्रिया जारी कर सकता है। जैसा कि प्रमथ नाथ तालुकदार मामले में आयोजित किया गया है [ए.आई.आर. 1962 एस.सी. 876: 1962 पूरक (2) एस.सी.आर 297: (1962) 1 सीआरआई एलजे 770] शिकायतकर्ता के मामले पर पूर्ण विचार करने पर पिछले मामले में निर्णय दिए जाने के बाद दूसरी शिकायत को खारिज किया जा सकता है। इसके अलावा, समान तथ्यों पर दूसरी शिकायत केवल असाधारण परिस्थितियों में ही की जा सकती है, अर्थात्, जहां पिछला आदेश अपूर्ण अभिलेखों पर या शिकायत की प्रकृति की गलतफहमी पर पारित किया गया था या यह स्पष्ट रूप से बेतुका, अन्यायपूर्ण था या जहां नए तथ्य जो उचित परिश्रम के साथ नहीं किए जा सकते थे, पिछली कार्यवाही में अभिलेखों पर लाए गए थे, जोड़ा गया है। इस मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में, इसलिए, मामले को विद्वान मजिस्ट्रेट को वापस भेज दिया जाना चाहिए



था ताकि यह निष्कर्ष निकाला जा सके कि कथित अपराध के संज्ञान के लिए कोई मामला बनाया गया था या नहीं।

18. विष्णु कुमार तिवारी (उपरोक्त) के मामले में, फिर से उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि अंतिम रिपोर्ट की स्वीकृति विरोध/शिकायत आवेदन का संज्ञान लेने के रास्ते में नहीं आएगी। उक्त मामले के प्रस्तर-25 और 39 में इस प्रकार है:

25. राकेश बनाम उत्तर प्रदेश राज्य [राकेश बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, (2014) 13 एस.सी.सी. 133: (2014) 5 एस.सी.सी. (सीआरआई) 611] में जांच के बाद पुलिस द्वारा दर्ज की गई प्रथम सूचना रिपोर्ट के आधार पर, एक अंतिम रिपोर्ट दायर की गई। मजिस्ट्रेट ने अंतिम रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया। इसके साथ ही उन्होंने निर्देश दिया कि मामले को शिकायत के मामले के रूप में आगे बढ़ाया जाए। संहिता की धारा 200 और 202 के तहत बयान दर्ज किए गए। उच्च न्यायालय ने उन आरोपियों की याचिका को खारिज कर दिया जिन्हें समन जारी किया गया था। आरोपी का तर्क था कि नकारात्मक अंतिम रिपोर्ट को स्वीकार करने के बाद, अदालत शिकायतकर्ता द्वारा दायर विरोध याचिका के आधार पर कार्रवाई नहीं कर सकती है। यह न्यायालय एचएस बैस [एचएस बैस बनाम राज्य (चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश), (1980)4 एस.सी.सी. 631:1981 एस.सी.सी. (सीआरआई) 93] में दिए गए फैसले को संदर्भित करता है। महेश चंद [महेश चंद बनाम बी. जनार्दन रेड्डी, (2003)1 एस.सी.सी. 734: 2003 एस.सी.सी. (सीआरआई) 425] के प्रस्तर-12 में निर्धारित कानून के सिद्धांत, जिनका हमने पहले भी उल्लेख किया है, को मंजूरी दे दी गई। उच्च न्यायालय के आदेश को मंजूरी दे दी गई।

39. महेश चंद [महेश चंद बनाम बी. जनार्दन रेड्डी, (2003) 1 एस.सी.सी. 734: 2003 एस.सी.सी. (सीआरआई) 425] में, इसमें कोई संदेह नहीं है कि मामला प्रथम सूचना रिपोर्ट द्वारा शुरू किया गया था और शिकायतकर्ता द्वारा संहिता की धारा 190(1)(ए) के तहत अदालत में पेश की गई थी। प्रथम सूचना रिपोर्ट पर जांच के बाद अंतिम रिपोर्ट दर्ज की गई। अंतिम रिपोर्ट स्वीकार कर ली गई और इसे बंद कर दिया गया। यह इस तथ्य के बावजूद है कि विरोध याचिका थी। तीसरी शिकायत, जैसा कि यह थी, शिकायतकर्ता द्वारा दर्ज की गई थी। इस अदालत ने कहा कि अंतिम रिपोर्ट की स्वीकृति किसी विरोध/शिकायत याचिका पर संज्ञान लेने के रास्ते में नहीं आएगी।



19. समता नायडू (उपरोक्त) में, उच्चतम न्यायालय ने कानून की घोषणा की है कि समान तथ्यों पर भी दूसरी शिकायत दर्ज करने या उस पर विचार करने पर कोई रोक नहीं है, बशर्ते कि पहले की शिकायत अपर्याप्त सामग्री के आधार पर तय की गई हो या शिकायत की प्रकृति को समझे बिना आदेश पारित किया गया हो। प्रस्तर-15 में, सर्वोच्च न्यायालय ने कहा: .

"15. हालांकि, सुश्री मीनाक्षी अरोड़ा, वरिष्ठ अधिवक्ता द्वारा शिवशंकर सिंह [शिवशंकर सिंह बनाम बिहार राज्य, (2012) 1 एस.सी.सी. 130: (2012) 1 एस.सी.सी. (सीआरआई) 513] में इस न्यायालय के निर्णय के प्रस्तर-18 पर रखा गया था। उस मामले में, पुलिस द्वारा अंतिम रिपोर्ट दायर किए जाने से पहले ही शिकायतकर्ता द्वारा एक विरोध याचिका दायर की गई थी। जबकि उक्त विरोध याचिका विचार के लिए लंबित थी, अंतिम रिपोर्ट दायर की गई थी, जिसके बाद दूसरी विरोध याचिका दायर की गई थी। अभियुक्त द्वारा उठाई गई चुनौती कि दूसरी विरोध याचिका सुनवाई योग्य नहीं थी, उच्च न्यायालय द्वारा स्वीकार कर लिया गया था [आनंद कुमार सिंह बनाम बिहार राज्य, 2009 एस.सी.सी. ऑनलाइन पैट 857: (2010) 1 पीएलजेआर 167]। इन तथ्यों के आलोक में इस मामले पर इस न्यायालय द्वारा निम्नानुसार विचार किया गया: (शिवशंकर सिंह मामला [शिवशंकर सिंह बनाम बिहार राज्य, (2012) 1 एस.सी.सी. 130: (2012) 1 एस.सी.सी. (सीआरआई) 513], एस.सी.सी. पीपी 133-34 और 136, प्रस्तर-7 और 18-19)

"7. अपीलकर्ता की ओर से पेश अधिवक्ता श्री गौरव अग्रवाल ने प्रस्तुत किया है कि उच्च न्यायालय इस बात की सराहना करने में विफल रहा कि अंतिम रिपोर्ट दाखिल करने से पहले दायर की गई तथाकथित पहली विरोध याचिका सुनवाई योग्य नहीं थी और इसे नजरअंदाज किया जाना चाहिए। विद्वान मजिस्ट्रेट ने उक्त विरोध याचिका के आधार पर सही ढंग से कार्यवाही नहीं की और यह फाइल में केवल एक दस्तावेज ही रह गया। दूसरी याचिका एकमात्र विरोध याचिका थी जिस पर विचार किया जा सकता था क्योंकि यह अंतिम रिपोर्ट दाखिल करने के बाद दायर की गई थी।

18. इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि कानून समान तथ्यों पर भी दूसरी शिकायत दर्ज करने या उस पर विचार करने पर रोक नहीं लगाता है, बशर्ते कि पहले की शिकायत अपर्याप्त सामग्री के आधार पर तय की गई हो या शिकायत की प्रकृति को समझे बिना आदेश पारित किया गया हो या पूरे तथ्य अदालत के समक्ष नहीं रखे जा सके या जहां शिकायतकर्ता को पहली शिकायत के निपटान के बाद कुछ तथ्यों का पता चला हो जो संतुलन को उनके



पक्ष में झुका सकता था। हालांकि, दूसरी शिकायत सुनवाई योग्य नहीं होगी जिसमें पहले की शिकायत को गुण-दोष के आधार पर शिकायतकर्ता के मामले पर पूरी तरह से विचार करने के आधार पर निपटाया गया हो।

19. विरोध याचिका को हमेशा एक शिकायत के रूप में माना जा सकता है और अध्याय XV CrPC के संदर्भ में आगे बढ़ाया जा सकता है। इसलिए, यदि असाधारण परिस्थितियों में समान तथ्यों पर दूसरी शिकायत पर विचार करने पर कोई रोक नहीं है, तो दूसरी विरोध याचिका पर भी इसी तरह केवल असाधारण परिस्थितियों में ही विचार किया जा सकता है। यदि मामले का फैसला करने के लिए आवश्यक पूर्ण तथ्यों/विवरणों को प्रस्तुत किए बिना पहली विरोध याचिका दायर की गई है, और अदालत द्वारा इसे स्वीकार करने से पहले, पूरा विवरण देते हुए एक नई विरोध याचिका दायर की जाती है, तो हम यह समझने में विफल रहते हैं कि इसे बनाए रखने योग्य क्यों नहीं होना चाहिए।

20. यह ध्यान रखना प्रासंगिक है कि सुब्रत चौधरी @ संतोष चौरधुरी (उपरोक्त) में, महेश चंद (उपरोक्त) और समता नायडू (उपरोक्त) के निर्णयों पर विचार किया गया है और उसके बाद न्यायालय ने माना है कि दूसरी शिकायत सुनवाई योग्य नहीं है। महत्वपूर्ण तथ्य यह भी बताया जाना चाहिए कि प्रस्तुत मामले का तथ्यात्मक पहलू सुब्रत चौधरी @ संतोष, चौरधुरी (उपरोक्त) के मामले के समान है। इसलिए, यह न्यायालय एक अलग राय नहीं ले सकता है और उच्चतम न्यायालय द्वारा सुब्रत चौधरी @ समतोष चौरधुरी (उपरोक्त) में घोषित कानून बाध्यकारी है।

21. उपरोक्त चर्चा को देखते हुए, इस आवेदन की अनुमति दी जानी चाहिए। तदनुसार, आवेदन की अनुमति दी जाती है और दीवानी न्यायाधीश (जूनियर डिवीजन)/न्यायिक मजिस्ट्रेट, लालगंज, प्रतापगढ़ की अदालत में लंबित धारा 323, 325, 326, 504, 506 भ०द०वि० (अनिल सिंह बनाम विकास और अन्य) के तहत शिकायत संख्या 188 वर्ष 2017 की संपूर्ण आपराधिक कार्यवाही के साथ-साथ दिनांक 01.04.2021 और 10.1.2020 के आक्षेपित आदेशों को रद्द/अपास्त किया जाता है।

22. निर्णय समाप्त करने से पूर्व यह तथ्य भी उल्लेखनीय है कि प्रतिपक्षी संख्या-2 द्वारा दायर पुनरीक्षण को अंतिम रिपोर्ट स्वीकार किए जाने के विरुद्ध पुनरीक्षण न्यायालय द्वारा दिनांक 01.08.2023 के आदेश के माध्यम से खारिज कर दिया गया है। कोई भी व्यक्ति उपचारहीन नहीं



छोड़ा जा सकता। यदि प्रतिपक्षी संख्या-2 व्यथित है, तो वह दिनांक 01.08.2023 के उक्त पुनरीक्षण आदेश के विरुद्ध विधि अनुसार उचित विधिक उपाय अपना सकता है।

दिनांक: 28.01.2026 / सचिन

(न्यायमूर्ति बृज राज सिंह)

Translated Version. Not for Legal Use.